

प्रेषक,

मिशन निदेशक,
राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन, उ०प्र०,
विशाल काम्प्लेक्स, 19-ए, विधान सभा मार्ग
लखनऊ।

सेवा में,

- 1.समस्त मुख्य चिकित्सा अधिकारी,
उत्तर प्रदेश।
- 2.समस्त जनपदीय कार्यक्रम प्रबन्धक-एन०एच०एम०,
उत्तर प्रदेश।

पत्रसंख्या:एस०पी०एम०यू/एम०आई०एस०/एम०सी०टी०एस० एडमिन इकपेन्स/2014-15/51-सी/

4224-2

दिनांक: 22-12-2014

विषय : राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के अन्तर्गत वर्ष 2014-15 हेतु 820 ब्लॉक पी०एम०यू० में अन्य आफिस व्यय हेतु धनराशि अवमुक्त किए जाने के संबंध में।

महोदय/महोदया,

राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन के अन्तर्गत पी०आई०पी० 2014-15 में मिशन फ्लैक्सीपूल मद के उपमद एच०एम०आई०एस० एवं एम०सी०टी०एस० में निम्नानुसार बजट स्वीकृत किया गया है:-

"For other office expenditure @ Rs. 1000.00 per month per BPMU as per FMR code B.15.3.2.12 for financial year 2014-15. Procurement should be done based on competitive bidding and by following govt. protocols"

उक्त मदों में स्वीकृत धनराशि के व्यय हेतु मानकों का विवरण निम्नानुसार है:-

ब्लॉक स्वास्थ्य इकाइयों में अन्य आफिस व्यय हेतु रु० 1,000.00 प्रति ब्लाक प्रति माह की दर से बजट प्राविधानित किया गया है। इसके अन्तर्गत एच०एम०आई०एस० एवं मदर चाइल्ड ट्रेकिंग पोर्टल पर 100 प्रतिशत फ़ैसिलिटी बैस्ड रिपोर्टिंग हेतु होने वाले अन्य ऑफिस व्ययों के संबंध में किया जाना है। वित्तीय वर्ष 2014-15 के अवशेष माह दिसम्बर से मार्च 2015 तक की ही धनराशि जनपदों को आवंटित की जाने वाली धनराशि का विवरण निम्नवत् है:-

जनपदवार अवमुक्त की जाने वाली धनराशि का विवरण निम्नवत् है:-

FMR Code: B.15.3.2.12: Other Office Expenditure (01-12-14 to 31-03-2015)

SN	District	No. of Block PMUs	Rs. 1000.00 per month per block PMU for 4 months (Dec. 2014 to Mar. 2015)	SN	District	No. of Block PMUs	Rs. 1000.00 per month per block PMU for 4 months (Dec. 2014 to Mar. 2015)
1	2	3	4=(col 3) x Rs. 4000	1	2	3	4=(col 3) x Rs. 4000
1	Agra	15	60000	39	Maharajganj	12	48000
2	Firozabad	9	36000	40	Jalaun	9	36000
3	Mainpuri	9	36000	41	Jhansi	8	32000

4	Mathura	10	40000	42	Lalitpur	6	24000
5	Aligarh	12	48000	43	Farrukhabad	7	28000
6	Etah	8	32000	44	Auraiya	7	28000
7	Hathras	7	28000	45	Etawah	8	32000
8	Kashganj	7	28000	46	Kannauj	8	32000
9	Allahabad	20	80000	47	Kanpur Dehat	10	40000
10	Fatehpur	13	52000	48	Kanpur Nagar	10	40000
11	Kaushambi	8	32000	49	Hardoi	19	76000
12	Pratapgarh	17	68000	50	Lakhimpur K	15	60000
13	Azamgarh	22	88000	51	Lucknow	8	32000
14	Ballia	17	68000	52	Rae Bareli*	18	72000
15	Mau	9	36000	53	Sitapur	19	76000
16	Bareilly	15	60000	54	Unnav	16	64000
17	Budaun	15	60000	55	Bagpat	6	24000
18	Pilibhit	7	28000	56	Bulandshahar	16	64000
19	Shahjahanpur	15	60000	57	G B Nagar	4	16000
20	Basti	14	56000	58	Ghaziabad	4	16000
21	Sant K Nagar	9	36000	59	Hapur	4	16000
22	Siddharth N	14	56000	60	Meerut	12	48000
23	Banda	8	32000	61	Mirzapur	12	48000
24	Chitrakoot	5	20000	62	Sonbhadra	8	32000
25	Hamirpur	7	28000	63	SRavidas N	6	24000
26	Mahoba	4	16000	64	Bijnor	11	44000
27	Bahraich	14	56000	65	JP Nagar	6	24000
28	Balrampur	9	36000	66	Moradabad	8	32000
29	Gonda	16	64000	67	Rampur	6	24000
30	Shrawasti	5	20000	68	Sambhal	8	32000

31	Ambedkar N	9	36000	69	Muzaffarnagar	9	36000
32	Amethi*	13	52000	70	Saharanpur	11	44000
33	Barabanki	15	60000	71	Shamli	5	20000
34	Faizabad	11	44000	72	Chandauli	9	36000
35	Sultanpur	13	52000	73	Ghazipur	16	64000
36	Deoria	16	64000	74	Jaunpur	21	84000
37	Gorakhpur	19	76000	75	Varanasi	8	32000
38	Kushinagar	14	56000		TOTAL	820	3280000

*पत्रांक: एम.डी.-कैम्प/2014-15/1647 दिनांक: 04.12.2014 के क्रम में जनपद अमेठी के 03 विकास क्षेत्र-सलोन, छतोह एवं डीह को जनपद रायबरेली में सम्मिलित करते हुए धनराशि निर्गत की जा रही है।

समस्त ब्लॉक कार्यक्रम इकाइयों में अन्य आफिस व्यय हेतु रु0 32,80,000.00 (रु0 बत्तीस लाख अस्सी हजार मात्र)।

व्यय सम्बन्धी विस्तृत दिशा-निर्देश:

उपर्युक्त दी गई फांट के अनुसार ब्लॉक पी0एम0यू0 में अन्य आफिस व्यय का भुगतान वित्तीय नियमों का पालन करते हुए नियमानुसार एफ0एम0आर0 कोड संख्या बी15.3.2.12 से किया जायेगा। उक्त धनराशियों का व्यय "ऑपरेशनल गाइडलाइन्स फॉर फाइनेन्शियल मैनेजमेन्ट" में दी गयी व्यवस्था तथा अन्य प्रभावी संगत नियमों एवं निर्देशों का पालन करते हुये सक्षम अधिकारी की अनुमति प्राप्त करके ही किया जाय। निम्न निर्देशों का अनिवार्यतः पालन सुनिश्चित करें।

- धनराशि का आवंटन मात्र आपको व्यय करने के लिये प्राधिकृत नहीं करता, अपितु ऑपरेशनल गाइडलाइन फॉर फाइनेन्शियल मैनेजमेन्ट में दी गयी व्यवस्था, वित्तीय नियमों, शासनादेशों, अन्य प्रभावी नियमों/निर्देशों एवं कार्यकारी समिति द्वारा निर्धारित प्रक्रिया का पालन करते हुए, सक्षम प्राधिकारी की स्वीकृति के उपरान्त ही व्यय नियमानुसार किया जाय। जिस कार्यक्रम/मद में धनराशि आवंटित की गयी है उसी सीमा तक व्यय नियमानुसार किया जाये।
- स्वीकृत मद का पुर्नविनियोग (re-appropriation) राज्य कार्यकारी समिति, राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन, उत्तर प्रदेश की अनुमति के बिना कदापि न किया जाये। साथ ही साथ यह भी सुनिश्चित किया जाये कि एक कार्यक्रम की धनराशि दूसरे कार्यक्रमों में स्थानान्तरित न की जाये। धनराशि के व्यय में यदि कोई अनियमितता होती है तो इसके लिए आप स्वयं उत्तरदायी होंगे।
- जिला स्वास्थ्य समिति एवं समस्त इकाइयों के वित्तीय अभिलेख कैशबुक, बैंक बुक, लेजर, चैक इश्यू रजिस्टर, स्थायी सम्पत्तियों का रजिस्टर आदि लेखापुस्तकों में सभी प्रविष्टियाँ समय से पूर्ण कराये साथ ही समयानुसार सत्यापन भी सक्षम अधिकारी करना सुनिश्चित करें।
- जिला स्वास्थ्य समिति एवं समस्त इकाइयों के बैंक समाधान विवरण प्रत्येक माह के अन्त में तैयार करना सुनिश्चित कराये जिससे बैंक खातों तथा सोसाइटी एवं समस्त इकाइयों के लेखों में कोई भिन्नता न रहे।

- आपके स्तर से समस्त इकाईयों को अग्रिम के रूप में अवमुक्त की गयी धनराशियों के उपयोगिता प्रमाणपत्र प्राप्त करते हुए अपनी लेखापुस्तकों में समायोजन दर्शाना सुनिश्चित करें।
- प्रत्येक माह का मासिक व्यय विवरण (एफ0एम0आर0) लेखापुस्तकों की प्रविष्टियों से मिलान कर तैयार किया जाये तथा यह भी सुनिश्चित कर लें कि प्रत्येक माह की एफ0एम0आर0 में दर्शायी गयी धनराशि एवं लेखापुस्तकों में प्रविष्टि की गयी धनराशि में मदवार कोई अन्तर न रहें।
- व्यय से सम्बन्धित समस्त लेखाबहियों, बिल वाउचर्स व अन्य अभिलेखों को अपने स्तर पर सुरक्षित रखें एवं नियुक्ति मासिक कान्करेन्ट आडिटर, स्टेटच्यूरी आडिटर, महालेखाकार की आडिट एवं सक्षम निरीक्षण अधिकारी हेतु उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें।
- राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन के अन्तर्गत उपलब्ध कराये गये आपरेशनल गाइडलाइन्स फार फाइनेन्शियल मैनेजमेन्ट (अद्यावधिक संशोधित) में दिये गये दिशा निर्देशों एवं प्रक्रिया का पालन समस्त स्तरों पर किया जाना सुनिश्चित करें।

भवदीय,


(अमित कुमार घोष)
मिशन निदेशक

4224-2-11

पत्रसंख्या:एस0पी0एम0यू/एम0आई0एस0/एम0सी0टी0एस0 एडमिन इकपेन्स/2014-15/51-सी/

तददिनांक

निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. प्रमुख सचिव, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, उत्तर प्रदेश शासन, लखनऊ।
2. मिशन निदेशक, एन0एच0एम0, एस0पी0एम0यू0, लखनऊ।
3. अपर मिशन निदेशक, एन0एच0एम0, एस0पी0एम0यू0, लखनऊ।
4. महानिदेशक, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य, स्वास्थ्य सेवा महानिदेशालय, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
5. महानिदेशक, परिवार कल्याण, परिवार कल्याण महानिदेशालय, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
6. समस्त मण्डलायुक्त, उत्तर प्रदेश।
7. समस्त जिलाधिकारी/अध्यक्ष जिला स्वास्थ्य समिति, उत्तर प्रदेश।
8. समस्त मण्डलीय अपर निदेशक, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, उत्तर प्रदेश।
9. समस्त महाप्रबन्धक, एन0एच0एम0, एस0पी0एम0यू0, लखनऊ।
10. समस्त मण्डलीय परियोजना प्रबंधक, एन0एच0एम0, उत्तर प्रदेश।
11. महाप्रबन्धक-एम0आई0एस0, एन0एच0एम0, एस0पी0एम0यू0, को इस आशय से प्रेषित कि पत्र की प्रति एन0एच0एम0 की वेबसाइट www.upnrhm.gov.in पर अपलोड करवाने का कष्ट करें।

(अमित कुमार घोष)
मिशन निदेशक

प्रेषक,

मिशन निदेशक,
राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन, उ०प्र०,
विशाल काम्प्लेक्स, 19-ए, विधान सभा मार्ग
लखनऊ।

सेवा में,

- 1.समस्त मुख्य चिकित्सा अधिकारी,
उत्तर प्रदेश।
- 2.समस्त जनपदीय कार्यक्रम प्रबन्धक-एन०एच०एम०,
उत्तर प्रदेश।

पत्रसंख्या:एस०पी०एम०यू/एम०आई०एस०/एम०सी०टी०एस० एडमिन इकपेन्स/2014-15/51-सी/

दिनांक: 22-12-2014

विषय : राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के अन्तर्गत वर्ष 2014-15 हेतु 820 ब्लॉक पी०एम०यू० में अन्य आफिस व्यय हेतु धनराशि अवमुक्त किए जाने के सम्बंध में।

महोदय/महोदया,

राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन के अन्तर्गत पी०आई०पी० 2014-15 में मिशन फ्लैक्सीपूल मद के उपमद एच०एम०आई०एस० एवं एम०सी०टी०एस० में निम्नानुसार बजट स्वीकृत किया गया है:-

"For other office expenditure @ Rs. 1000.00 per month per BPMU as per FMR code B.15.3.2.12 for financial year 2014-15. Procurement should be done based on competitive bidding and by following govt. protocols"

उक्त मदों में स्वीकृत धनराशि के व्यय हेतु मानकों का विवरण निम्नानुसार है:-

ब्लॉक स्वास्थ्य इकाइयों में अन्य आफिस व्यय हेतु रु० 1,000.00 प्रति ब्लॉक प्रति माह की दर से बजट प्राविधानित किया गया है। इसके अन्तर्गत एच०एम०आई०एस० एवं मदर चाइल्ड ट्रैकिंग पोर्टल पर 100 प्रतिशत फौसिलिटी बैस्ड रिपोर्टिंग हेतु होने वाले अन्य ऑफिस व्ययों के संबंध में किया जाना है। वित्तीय वर्ष 2014-15 के अवशेष माह दिसम्बर से मार्च 2015 तक की ही धनराशि जनपदों को आवंटित की जाने वाली धनराशि का विवरण निम्नवत् है:-

जनपदवार अवमुक्त की जाने वाली धनराशि का विवरण निम्नवत् है:-

FMR Code: B.15.3.2.12: Other Office Expenditure (01-12-14 to 31-03-2015)

SN	District	No. of Block PMUs	Rs. 1000.00 per month per block PMU for 4 months (Dec. 2014 to Mar. 2015)	SN	District	No. of Block PMUs	Rs. 1000.00 per month per block PMU for 4 months (Dec. 2014 to Mar. 2015)
1	2	3	4=(col 3) x Rs. 4000	1	2	3	4=(col 3) x Rs. 4000
1	Agra	15	60000	39	Maharajganj	12	48000
2	Firozabad	9	36000	40	Jalaun	9	36000
3	Mainpuri	9	36000	41	Jhansi	8	32000

4	Mathura	10	40000	42	Lalitpur	6	24000
5	Aligarh	12	48000	43	Farrukhabad	7	28000
6	Etah	8	32000	44	Auraiya	7	28000
7	Hathras	7	28000	45	Etawah	8	32000
8	Kashganj	7	28000	46	Kannauj	8	32000
9	Allahabad	20	80000	47	Kanpur Dehat	10	40000
10	Fatehpur	13	52000	48	Kanpur Nagar	10	40000
11	Kaushambi	8	32000	49	Hardoi	19	76000
12	Pratapgarh	17	68000	50	Lakhimpur K	15	60000
13	Azamgarh	22	88000	51	Lucknow	8	32000
14	Ballia	17	68000	52	Rae Bareli*	18	72000
15	Mau	9	36000	53	Sitapur	19	76000
16	Bareilly	15	60000	54	Unnav	16	64000
17	Budaun	15	60000	55	Bagpat	6	24000
18	Pilibhit	7	28000	56	Bulandshahar	16	64000
19	Shahjahanpur	15	60000	57	G B Nagar	4	16000
20	Basti	14	56000	58	Ghaziabad	4	16000
21	Sant K Nagar	9	36000	59	Hapur	4	16000
22	Siddharth N	14	56000	60	Meerut	12	48000
23	Banda	8	32000	61	Mirzapur	12	48000
24	Chitrakoot	5	20000	62	Sonbhadra	8	32000
25	Hamirpur	7	28000	63	SRavidas N	6	24000
26	Mahoba	4	16000	64	Bijnor	11	44000
27	Bahraich	14	56000	65	JP Nagar	6	24000
28	Balrampur	9	36000	66	Moradabad	8	32000
29	Gonda	16	64000	67	Rampur	6	24000
30	Shrawasti	5	20000	68	Sambhal	8	32000

31	Ambedkar N	9	36000	69	Muzaffarnagar	9	36000
32	Amethi*	13	52000	70	Saharanpur	11	44000
33	Barabanki	15	60000	71	Shamli	5	20000
34	Faizabad	11	44000	72	Chandauli	9	36000
35	Sultanpur	13	52000	73	Ghazipur	16	64000
36	Deoria	16	64000	74	Jaunpur	21	84000
37	Gorakhpur	19	76000	75	Varanasi	8	32000
38	Kushinagar	14	56000		TOTAL	820	3280000

*पत्रांक: एम.डी.-कैम्प/2014-15/1647 दिनांक: 04.12.2014 के क्रम में जनपद अमेठी के 03 विकास क्षेत्र-सलोन, छतोह एवं डीह को जनपद रायबरेली में सम्मिलित करते हुए धनराशि निर्गत की जा रही है।

समस्त ब्लॉक कार्यक्रम इकाइयों में अन्य आफिस व्यय हेतु रु0 32,80,000.00 (रु0 बत्तीस लाख अस्सी हजार मात्र)।

व्यय सम्बन्धी विस्तृत दिशा-निर्देश:

उपर्युक्त दी गई फांट के अनुसार ब्लॉक पी0एम0यू0 में अन्य आफिस व्यय का भुगतान वित्तीय नियमों का पालन करते हुए नियमानुसार एफ0एम0आर0 कोड संख्या बी15.3.2.12 से किया जायेगा। उक्त धनराशियों का व्यय "ऑपरेशनल गाइडलाइन्स फॉर फाइनैन्शियल मैनेजमेन्ट" में दी गयी व्यवस्था तथा अन्य प्रभावी संगत नियमों एवं निर्देशों का पालन करते हुये सक्षम अधिकारी की अनुमति प्राप्त करके ही किया जाय। निम्न निर्देशों का अनिवार्यतः पालन सुनिश्चित करें।

- धनराशि का आवंटन मात्र आपको व्यय करने के लिये प्राधिकृत नहीं करता, अपितु ऑपरेशनल गाइडलाइन फॉर फाइनैन्शियल मैनेजमेन्ट में दी गयी व्यवस्था, वित्तीय नियमों, शासनादेशों, अन्य प्रभावी नियमों/निर्देशों एवं कार्यकारी समिति द्वारा निर्धारित प्रक्रिया का पालन करते हुए, सक्षम प्राधिकारी की स्वीकृति के उपरान्त ही व्यय नियमानुसार किया जाय। जिस कार्यक्रम/मद में धनराशि आवंटित की गयी है उसी सीमा तक व्यय नियमानुसार किया जाये।
- स्वीकृत मद का पुर्नविनियोग (re-appropriation) राज्य कार्यकारी समिति, राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन, उत्तर प्रदेश की अनुमति के बिना कदापि न किया जाये। साथ ही साथ यह भी सुनिश्चित किया जाये कि एक कार्यक्रम की धनराशि दूसरे कार्यक्रमों में स्थानान्तरित न की जाये। धनराशि के व्यय में यदि कोई अनियमितता होती है तो इसके लिए आप स्वयं उत्तरदायी होंगे।
- जिला स्वास्थ्य समिति एवं समस्त इकाइयों के वित्तीय अभिलेख कैशबुक, बैंक बुक, लेजर, चैक इश्यू रजिस्टर, स्थायी सम्पत्तियों का रजिस्टर आदि लेखापुस्तकों में सभी प्रविष्टियाँ समय से पूर्ण कराये साथ ही समयानुसार सत्यापन भी सक्षम अधिकारी करना सुनिश्चित करें।
- जिला स्वास्थ्य समिति एवं समस्त इकाइयों के बैंक समाधान विवरण प्रत्येक माह के अन्त में तैयार करना सुनिश्चित कराये जिससे बैंक खातों तथा सोसाइटी एवं समस्त इकाइयों के लेखों में कोई भिन्नता न रहे।

- आपके स्तर से समस्त इकाईयों को अग्रिम के रूप में अवमुक्त की गयी धनराशियों के उपयोगिता प्रमाणपत्र प्राप्त करते हुए अपनी लेखापुस्तकों में समायोजन दर्शाना सुनिश्चित करें।
- प्रत्येक माह का मासिक व्यय विवरण (एफ0एम0आर0) लेखापुस्तकों की प्रविष्टियों से मिलान कर तैयार किया जाये तथा यह भी सुनिश्चित कर लें कि प्रत्येक माह की एफ0एम0आर0 में दर्शायी गयी धनराशि एवं लेखापुस्तकों में प्रविष्टि की गयी धनराशि में मदवार कोई अन्तर न रहें।
- व्यय से सम्बन्धित समस्त लेखाबहियों, बिल वाउचर्स व अन्य अभिलेखों को अपने स्तर पर सुरक्षित रखें एवं नियुक्ति मासिक कान्क्रेन्ट आडिटर, स्टेटचूरी आडिटर, महालेखाकार की आडिट एवं सक्षम निरीक्षण अधिकारी हेतु उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें।
- राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन के अन्तर्गत उपलब्ध कराये गये आपरेशनल गाइडलाइन्स फार फाइनेन्शियल मैनेजमेन्ट (अद्यावधिक संशोधित) में दिये गये दिशा निर्देशों एवं प्रक्रिया का पालन समस्त स्तरों पर किया जाना सुनिश्चित करें।

भवदीय,

(अमित कुमार घोष)
मिशन निदेशक

4224-2-11

पत्रसंख्या:एस0पी0एम0यू/एम0आई0एस0/एम0सी0टी0एस0 एडमिन इकपेन्स/2014-15/51-सी/

तददिनांक

निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. प्रमुख सचिव, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, उत्तर प्रदेश शासन, लखनऊ।
2. मिशन निदेशक, एन0एच0एम0, एस0पी0एम0यू0, लखनऊ।
3. अपर मिशन निदेशक, एन0एच0एम0, एस0पी0एम0यू0, लखनऊ।
4. महानिदेशक, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य, स्वास्थ्य सेवा महानिदेशालय, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
5. महानिदेशक, परिवार कल्याण, परिवार कल्याण महानिदेशालय, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
6. समस्त मण्डलायुक्त, उत्तर प्रदेश।
7. समस्त जिलाधिकारी/अध्यक्ष जिला स्वास्थ्य समिति, उत्तर प्रदेश।
8. समस्त मण्डलीय अपर निदेशक, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, उत्तर प्रदेश।
9. समस्त महाप्रबन्धक, एन0एच0एम0, एस0पी0एम0यू0, लखनऊ।
10. समस्त मण्डलीय परियोजना प्रबंधक, एन0एच0एम0, उत्तर प्रदेश।
11. महाप्रबन्धक-एम0आई0एस0, एन0एच0एम0, एस0पी0एम0यू0, को इस आशय से प्रेषित कि पत्र की प्रति एन0एच0एम0 की वेबसाइट www.upnrhm.gov.in पर अपलोड करवाने का कष्ट करें।

(अमित कुमार घोष)
मिशन निदेशक